मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील क्रमांक ए–240 / रासूआ / 34–1 / 2006 / भोपाल

श्री एच.एस.रघुवंशी, अपीलकर्ता
मकान नं.–34,काली मंदिर के पीछे,
टीला जमालपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश.

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री, लोक सूचना अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल.

(आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006)

यह अपील श्री एच.एस.रघुवंशी,अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की है । उन्होंने भोपाल विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन–पत्र टीला जमालपुरा एम.आई.जी. पी–35, 36 के आवंटन आदेश, नक्शे की प्रति, रजिस्ट्री की प्रति एवं पी–34 के पीछे एवं पी–37 की बगल में बने मकान की स्वीकृति के रिकार्ड की छायाप्रति चाही है ।

2. इस आवेदन–पत्र के प्रस्तुत होने के बाद निर्धारित 30 दिन की अवधि में जानकारी न मिलने से अपीलकर्ता ने प्रथम अपील प्रस्तुत की और प्रथम अपील में भी निर्धारित समय पर जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने दूसरी अपील प्रस्तुत की है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से इस प्रकरण में उठाए गए बिंदुओं के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । उन्होंने यह लिखा है कि संबंधित शाखा से रिकार्ड नस्तियां उपलब्ध न होने के कारण भूमि के आवंटियों को रिकार्ड के संबंध में सूचना दी गई । आवंटियों ने संबंधित जानकारी देने में आपत्ति की है और उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं । उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्ता उनके पड़ोस में रहते हैं जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है । इसी आधार पर

उन्हें जानकारी नहीं दी गई है और उनकी अपील निरस्त की गई है । तदानुसार उनके आवेदन का निराकरण किया जा चुका है ।

4. इस प्रकरण में अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 25.7.2006 को सुना गया । इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जिन भू–खण्डों के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा जानकारी मांगी गई है, वे निजी भू–खण्ड हैं । इन भू–खण्डों के मालिकों ने इस जानकारी को देने में आपत्ति प्रस्तुत की है । लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि उनके प्राधिकरण में नस्तियां उपलब्ध न होने से उन्होंने यह जानकारी संबंधितों से मांगी थी और तभी यह जानकारी प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार के आवेदन–पत्र जिसमें तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, उनके संबंध में रिकार्ड उपलब्ध होने पर भी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत नोटिस दिया जाना अति–आवश्यक है क्योंकि किसी तीसरे पक्ष की जानकारी देने के पूर्व उस पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचना दी जाना आवश्यक है । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलकर्ता अधिकारी इन प्रावधानों को ध्यान में रखें जिससे कोई ऐसी स्थिति निर्मित न हो जिसमें तृतीय पक्ष के जो अधिकार हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न हो ।

5. इस प्रकरण में अपीलकर्ता के द्वारा मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है । तृतीय पक्ष ने इस संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है । इस आपत्ति को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय कि ''जानकारी नहीं दी जा सकती '', सही है । अतः यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त